राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2018 जयपुर, दिनांक : 29.10.2018

डा. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया,
प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
द्वारा विभागीय बेवसाईट एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य) के माध्यम से

विषयः– कार्यग्रहण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के आदेश दिनांक 25.09.2018 के क्रम संख्या 144 के द्वारा आपको संयुक्त निदेशक, चिकित्सा के पद पर पी. एम. सी. आर. आर. डब्ल्यू. एस एण्ड एफ. एम. पी., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए पदस्थापित किया गया है, उक्त आदेशों की पालना में आपने आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप अविलम्ब उक्त पद पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त पत्र निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 3(1)(9)I/Elect/2018/6965 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंषा पर सामान्य प्रशासन विभाग की आई. डी. क्रमांक 3716/पीएस/जीएडी/2018 दिनांक 24.10.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

भवदीय

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, पी. एम. सी. आर. आर. डब्ल्यू. एस एण्ड एफ. एम. पी., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर को उनकी अर्द्वशासकीय पत्र क्रमांक 3133 दिनांक 01.10. 2018 के संदर्भ में।

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव